बिलाड़ा

30-10-2019

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई।
खुबलाल पारीक उपस्थित।

इस मामले का निर्णय
अलग से लिखवाया व सुनाया
जाकर शामिल मिसल किया
गया। मालिक निर्णय के
अनुसार डिक्री जारी की जाकर
निर्णय के साथ संलग्न
कार्यवाही जावे।

मालिक निर्णय के अनुसार
रेकार्ड में अमलदरामद करने
हेतु निर्णय एवं डिक्री पर्चा की
प्रमाणित प्रति तहसीलदार बिलाड़ा
को भिजवाकर व लिखा जाकर
पालना करवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार
होकर
व जमा में दाखिल
रिकार्ड हो।

निर्णय सरे इजलास
सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पेज–1

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 67 / 2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
श्रीमति सरोज पत्नी रोशनलाल जाति नायक, निवासी पाबुपुरा जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर		1. श्रीमति नथकी पुत्री गुबिया पत्नी रिमजाराम जाति सांसी निवासी पाँचबती चौराहा, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
		2. श्रीमति चुनकी पुत्री गुबिया पत्नी शार्दुलराम जाति सांसी निवासी पाँचबती चौराहा, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
		3. श्रीमति धापूड़ी पुत्री गुबिया पत्नी मांगीलाल जाति सांसी निवासी खोखरिया, तहसील व जिला जोधपुर
		4. श्रीमति सोरठ पुत्री गुबिया पत्नी हरीराम जाति सांसी निवासी खोखरिया, तहसील व जिला जोधपुर
		5. श्रीमति चुकली पुत्री गुबिया पत्नी नारायणराम जाति सांसी निवासी पाँचबती चौराहा, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
		6. श्रीमति सीता पुत्री गुबिया पत्नी धन्नाराम जाति सांसी निवासी प्रथम पुलिया, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
		7. श्रीमति किशनाई पत्नी पुरखाराम जाति सांसी निवासी खोखरिया तहसील व जिला जोधपुर
		8. श्रीमति कमलादेवी पत्नी लालूराम, जाति सांसी निवासी खोखरिया तहसील व जिला जोधपुर
		9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से श्री राजेन्द्रकुमार पटेल एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की ओर से श्री जी.एल.कंसारा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 9 सरकारी पैरोकार

लगातार – – – पेज–2

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned by CamScanner

पेज-2

निर्णय दिनांक :- 30.X.2019

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चान्देलाव, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 404 रकबा 74 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय आयी हुयी है। उपरोक्त सयुक्त खातेदारी भूमि में वादी का 2/9 हिस्सा है तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का है तथा प्रतिवादी संख्या 7 का 175/659.55 वाँ हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8 का 484.55/659.55 वाँ हिस्सा है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। उपरोक्त भूमि पूर्व में सुरिया पुत्री धुला जाति सांसी की 1/3 हिस्से की संयुक्त खातेदारी की थी। खातेदार सुरिया पुत्री धुला जाति सांसी ने अपनी 1/3 हिस्से की भूमि में से 2/3 हिस्से की भूमि का बैचाननामा दिनांक 11.06.2001 को वादी के पक्ष में निष्पादित कर दिया, इस प्रकार वादी श्रीमति सरोज का दावे के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि में 2/9 वाँ हिस्सा है। वादी अपने हिस्से का बंटवाड़ा कराने का अधिकारी है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा वादी के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 8 इसके लिए तैयार नही हुये तो वादी अपने 2/9 वाँ हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 वादी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अड़चने पैदा कर रहे है, इस कारण वादी को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नही करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड़ रहा है। अन्त में निवेदन किया कि ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 404 रकबा 74 बीघा 04 बिस्वा का वाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर वादी के 2/9 वाँ हिस्से की भूमि अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादी के बंट एवं हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से जवाब दावा मय काउण्टर वाद पेश किया जो जवाब दावा मय काउण्टर वाद इस आधार का पेश किया गया कि दावा के पद संख्या 1 सही होने से स्वीकार है। पद संख्या 2 वादी ने खातेदार सूर्या पुत्र धूला से भूमि कव खरीद की इल्म नही। वादी सहखातेदार है और वादी जिस प्रकार भूमि का बंटवाड़ा चाहता है ठीक उसी तरह प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ग्राम चान्देलाव के खसरा नम्बर 404 रकबा 74 बीघा 4 बिस्वा में स्थित अपने 1/3 हिस्से का बंटवाड़ा वाई मिटस एण्ड बाउण्डस करवाने की अधिकारीणी है। वाद के पद संख्या 3 से 6 सही होने से स्वीकार है। पद संख्या 7 से 8 कानूनी है। पद संख्या 9 वादी की इस्तदुआ है जो सही होने से स्वीकार है। अन्त में जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि सम्पूर्ण भूमि का वाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को कोई एतराज नही है। काउण्टर क्लेम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चान्देलाव की भूमि खसरा नम्बर 404 रकबा 74 बीघा 4 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/3 हिस्से के सहखातेदार काश्तकार है व

लगातार.....पेज-3

(सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा)

Scanned by CamScanner

काश्तकार की हैसियत से काबिज है उक्त हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता श्री गुबिया पुत्र धूला जाति सांसी निवासी चान्देलाव वाले से उनके फौत होने पर एक मात्र प्रथम श्रेणी के हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत उतराधिकारी होने से विरासत में प्राप्त हुई है। अन्त में काउण्टर वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 404 रकबा 74 बीघा 04 बिस्वा का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के 1/3 हिस्से की भूमि का मौके पर पुलिस इमदाद के जरिये बंटवाड़ा कर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को बंटवाड़ा में सुपुर्द की गई भूमि का तरमीम करने एवं बिगोडी अलग कायम करने का प्रतिवादी संख्या 9 तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश फरमावे। प्रतिवादी संख्या 7 से 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बंट व हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी भी प्रकार की दखल करे और न ही अपने हाली, एजेन्ट, प्रतिनिधि, नौकर इत्यादि से करावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 11.03.2019 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा की सरहद में खसरा नम्बर 404 रकबा 74 बीघा 04 बिस्वा में से 2/9 वाँ हिस्से की भूमि तथा खसरा नम्बर 404 रकबा 74 बीघा 04 बिस्वा में से 1/3 हिस्से की भूमि का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच बंटवाड़ा की डिक्री प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया गया, जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 404 रकबा 74 बीघा 04 बिस्वा की प्राथमिक डिक्री की पालना करते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 404 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा 15 बिस्वांशी किस्म बारानी द्वितीय प्रतिवादी संख्या 1 से 6 नथकी, चूनकी, धापूड़ी, सोरठ, चुकली, सीता पुत्रिया गुबिया (मुर्चिया) के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 404/1 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा 15 बिस्वांशी किस्म बारानी द्वितीय वादी सरोज पत्नी रोशनलाल के बंट में रखी गयी तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 404/2 रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा 08 बिस्वांशी किस्म बारानी द्वितीय प्रतिवादी संख्या 7 किशनाई पत्नी पुरखाराम, प्रतिवादी संख्या 8 कमलादेवी पत्नी लालूराम के बंट में रखी गयी तथा इसी अनुसार खसरा नम्बर 404/3 रकबा 2 बिस्वा 2 बिस्वांशी भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की शामलाती रास्ता की भूमि रखी गयी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि अलग–अलग करने की सहमति प्रकट की एवं बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति दर्ज नही करवायी है। बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार खसरा नम्बर 404 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा 15 बिस्वांशी किस्म बारानी द्वितीय प्रतिवादी संख्या 1 से 6 नथकी, चूनकी, धापूड़ी, सोरठ, चुकली, सीता पुत्रिया गुबिया (मुर्चिया) की भूमि घोषित की जाती है तथा खसरा नम्बर 404/1 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा 15 बिस्वांशी किस्म बारानी द्वितीय वादी सरोज पत्नी रोशनलाल की भूमि घोषित की जाती है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 404/2 रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा 08 बिस्वांशी किस्म बारानी द्वितीय प्रतिवादी संख्या 7 किशनाई पत्नी पुरखाराम, प्रतिवादी संख्या 8 कमलादेवी पत्नी लालूराम की सयुक्त खातेदारी की भूमि घोषित की जाती है तथा इसी अनुसार खसरा नम्बर 404/3 रकबा 2 बिस्वा 2 बिस्वांशी भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की शामलाती रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द

लगातार ----- पेज-5

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned by CamScanner

किया जाता है कि वो वादी की भूमि खसरा नम्बर 404/1 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा 15 बिस्वांशी किस्म बारानी द्वितीय की भूमि में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे तथा न अन्य किसी से करावे। इसी प्रकार वादी तथा प्रतिवादी संख्या 7, 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो प्रतिवादी 1 से 6 की भूमि खसरा नम्बर 404 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा 15 बिस्वांशी किस्म बारानी द्वितीय की भूमि में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे तथा न अन्य किसी से करावे। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस में अलग–अलग इन्द्राज करने का तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

30/X/2019

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले इजलास सुनाया गया।

30/X/19

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादी

श्रीमति सरोज पत्नी रोशनलाल
जाति नायक, निवासी पाबुपुरा
जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्रीमति नथकी पुत्री गुबिया पत्नी रिमजाराम जाति सांसी निवासी पाँचबती चौराहा, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
2. श्रीमति चुनकी पुत्री गुबिया पत्नी शार्दुलराम जाति सांसी निवासी पाँचबती चौराहा, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
3. श्रीमति धापूड़ी पुत्री गुबिया पत्नी मांगीलाल जाति सांसी निवासी खोखरिया, तहसील व जिला जोधपुर
4. श्रीमति सोरठ पुत्री गुबिया पत्नी हरीराम जाति सांसी निवासी खोखरिया, तहसील व जिला जोधपुर
5. श्रीमति चुकली पुत्री गुबिया पत्नी नारायणराम जाति सांसी निवासी पाँचबती चौराहा, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
6. श्रीमति सीता पुत्री गुबिया पत्नी धन्नाराम जाति सांसी निवासी प्रथम पुलिया, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
7. श्रीमति किशनाई पत्नी पुरखाराम जाति सांसी निवासी खोखरिया तहसील व जिला जोधपुर
8. श्रीमति कमलादेवी पत्नी लालूराम, जाति सांसी निवासी खोखरिया तहसील व जिला जोधपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

लगातार ---- पेज-2

पेज-2

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 67/2017

दिनांक :— 30.10.2019

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटेल अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की ओर से श्री गिरधारीलाल कंसारा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 9 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का काउण्टर वाद स्वीकार किया जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 404 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा 15 बिस्वांशी किस्म बारानी द्वितीय प्रतिवादी संख्या 1 से 6 नथकी, चूनकी, धापूड़ी, सोरठ, चुकली, सीता पुत्रिया गुबिया (मुर्चिया) की भूमि घोषित की जाती है तथा खसरा नम्बर 404/1 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा 15 बिस्वांशी किस्म बारानी द्वितीय वादी सरोज पत्नी रोशनलाल की भूमि घोषित की जाती है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 404/2 रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा 08 बिस्वांशी किस्म बारानी द्वितीय प्रतिवादी संख्या 7 किशनाई पत्नी पुरखाराम, प्रतिवादी संख्या 8 कमलादेवी पत्नी लालूराम की संयुक्त खातेदारी की भूमि घोषित की जाती है तथा इसी अनुसार खसरा नम्बर 404/3 रकबा 2 बिस्वा 2 बिस्वांशी भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की शामलाती रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की भूमि खसरा नम्बर 404/1 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा 15 बिस्वांशी किस्म बारानी द्वितीय की भूमि में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे तथा न अन्य किसी से करावे। इसी प्रकार वादी तथा प्रतिवादी संख्या 7, 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो प्रतिवादी 1 से 6 की भूमि खसरा नम्बर 404 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा 15 बिस्वांशी किस्म बारानी द्वितीय की भूमि में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे तथा न अन्य किसी से करावे। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस में अलग–अलग इन्द्राज करने का तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे।

(हस्ताक्षर) 30/X/19

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मुहर: न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा)

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.10.2019 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :— इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हरदो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(हस्ताक्षर) 30/X/19

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner